न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–145/2020
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम मोना देवी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
27.11.2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–877/म0नि0को0, दिनांक–30.06.2020 से प्राप्त लहेरियासराय (बेंता ओ0पी0) थाना कांड संख्या–508/19 दिनांक 28.11.2019 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल** रजि0 सं0– BR07AF-2094 को राज्यसात् करने हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल है जो अभिलेख पर संधारित है। परन्तु दिनांक–13.10.2020 को कारण–पृच्छा दाखिल करने के उपरान्त इस वाद की कार्यवाही में अनुपस्थित रहे है। दाखिल कारण–पृच्छा के आधार पर सुनवाई की गई। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के गश्ती के दौरान अयाचीनगर ब्रहमस्थान के पास एक झोपड़ी के आगे एक मोटरसईकिल पर एक व्यक्ति को प्लास्टिक के बोरा में कार्टून लाद कर बाँधते देखा। शंका होने पर नजदीक पहुँचा तो पुलिस गाड़ी को देखकर मोटरसाईकिल पर लाद रहे समान छोड़ कर भागने लगा जिसे खदेड़ कर पकड़ने का प्रयास किया परन्तु अंधेरा का फायदा उठा कर भागने में सफल रहा। तत्पश्चात दो साक्षी के समक्ष मोटरसाईकिल पर लदा एक प्लास्टिक के बोरा में रखे कार्टून को खोलकर चेक किया तो उसमें से इम्पेरियल ब्लू विदेशी शराब कुल 24 बोतल 375 एम0एल0 का कुल–09.000 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ। साथ ही झोपड़ी के पीछे भी भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि अवैध शराब का भंडारण कर खुदरा रूप से चौर्य व्यापार हेतु उक्त वाहन का उपयोग परिवहन में किया जा रहा था। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में कथन है कि, प्राथमिकी से स्पष्ट है कि विपक्षी को उक्त थाना कांड में अभियुक्त नही बनाया गया है। आरोप लगाया गया है कि उक्त जब्त वाहन से शराब का परिवहन और व्यापार किया जा रहा था, जो गलत है। उक्त वाहन रोड किनारे लगा था गलत रूप से केस किया गया है। विपक्षी का उक्त शराब से काई संबंध नही है। विपक्षी शांतिप्रिय महिला है और कोई अपराधिक इतिहास नही है। सत्य यह है कि वाहन का उपयोग किसी भी प्रकार के शराब के व्यापार एवं परिवहन में नही किया गया है। अतः उक्त जब्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय। विद्वान विभागीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन मोटरसाईकिल रजि0 नं0– BR07AF-2094 पर प्लास्टिक के बोरा में लाद कर रखे हुए कार्टून से 375 एम0एल0 का 24 बोतल कुल–09.000 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुआ जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत जब्त किया गया। जब्ती के स्थान पर झोपड़ी के पीछे से भी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुआ। जिससे और स्पष्ट होता है कि अवैध शराब भंडारण कर उक्त वाहन मोटरसाईकिल का उपयोग खुदरा रूप में बेचने हेतु परिवहन किया जा रहा था। जिसे मौके पर पुलिस बल द्वारा पकड़ा गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन	

तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है।

विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नही किया गया जिससे कि उनके दावे को बल मिलता हो। अगर विपक्षी के वाहन का दुरूपयोग क़िसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है तो वे उनपर कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में लहेरियासराय (बेंता ओ0पी0) थाना कांड संख्या–508/19 दिनांक 28.11.2019 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **मोटरसाईकिल** रजि0 सं0– BR07AF-2094 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद कि कार्यवाही समाप्त कि जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा